

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज
दीपावली शिल्प मेला दिनांक 22 अक्टूबर से 04 नवम्बर 2026
के लिए नियम एवं शर्तें

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर से 04 नवम्बर, 2026 तक दीपावली शिल्प मेले में स्टालों का आवंटन निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन होगा:-

1. शिल्पकारों द्वारा भरे गये आवेदन पत्र के विरुद्ध स्टॉल का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा। अलग-अलग शिल्प के लिये स्टॉल की संख्या का निर्धारण एवं किराये की धनराशि की सूची वेबसाइट पर देखी अथवा डाउनलोड की जा सकती है। केन्द्र द्वारा लॉटरी की तिथि दिनांक 18.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे निर्धारित की गई है।
2. पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र केवल डी.डी. रु. 20,000.00 के साथ ही स्वीकार किये जायेंगे। जिन आवेदित शिल्पकारों को स्टाल का आवंटन किन्हीं कारणों से नहीं हो पायेगा, उनके द्वारा जमा की गई डीडी मूलरूप से वापस कर दी जायेगी।
3. केवल पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं रु. 20,000.00 की डी.डी. (जोकि निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के नाम बनवायी गयी हो) जमा करने के उपरान्त ही प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र एवं बगैर निर्धारित किराये की धनराशि के आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. केन्द्र में आवंटित स्टॉल का सम्पूर्ण किराया मेला प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक दुकानदार को लेखा विभाग में दिनांक 21.10.2026 तक जमा करना अनिवार्य होगा। आंशिक किराये की धनराशि किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. व्यंजन के स्टाल के लिए एक आवेदक एक ही आवेदन कर सकता है। व्यंजन के स्टाल के लिए जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसे इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेने का प्रमाण पत्र जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्गत/खाद्य प्रमाण पत्र तथा अनुभव प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। व्यंजन के स्टाल के आवेदकों को अपने व्यंजनों के दसों की सूची आवेदन के साथ प्रेषित करनी होगी तथा यह सूची स्टाल पर भी प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण दायित्व व्यंजनकार का होगा और इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी वाद/हानि का सम्पूर्ण दायित्व (वित्तीय एवं अन्य) विक्रेता को वहन करना होगा। राज्य विशेष के लिये उस राज्य के आवेदक को स्थानीय आवेदक से वरीयता दी जायेगी।
6. केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे तथा मुख्य शिल्पकार को स्टाल पर रहना अनिवार्य होगा। मुख्य शिल्पकार के न रहने पर स्टाल बन्द करा दिया जायेगा।
7. व्यंजन के स्टाल पर मुख्य व्यंजनकार के अतिरिक्त अधिकतम तीन सहायकों को रहने की अनुमति होगी। साथ ही मुख्य शिल्पकार के साथ एक सहायक के रहने की अनुमति होगी।
8. स्टाल खुलने की अवधि प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक होगी। रात्रि 10.00 बजे के बाद से प्रातः 6.00 बजे तक किसी भी परिस्थिति में गेट नम्बर 3 खोलने की अनुमति नहीं होगी।
9. शिल्पकार/व्यंजनकार को स्टाल आवंटन की दशा में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। केन्द्र द्वारा निर्धारित तिथि तक स्टाल की किराये की सम्पूर्ण धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः रद्द माना जायेगा।
10. शिल्पकार/व्यंजनकार को अपने सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी और उन्हें आवंटित स्टाल के अन्दर रहना होगा तथा शीतकाल को ध्यान में रखते हुए बिस्तर साथ लाना होगा। बिजली का हीटर/चूल्हा जलाना सख्त मना है। उक्त को जलाते हुए पाये जाने पर तत्काल आवंटन निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है।

अभि
10/10/26

11. शिल्पकार/व्यंजनकार को जिस शिल्प/व्यंजन के लिए स्टॉल आवंटित किया जायेगा उसको उसी शिल्प/व्यंजन के विक्रय की अनुमति होगी।
 12. शिल्पकार/व्यंजनकार अपने स्टालों को स्वच्छ रखेंगे तथा शिल्प/व्यंजन को समुचित ढंग से प्रदर्शित करेंगे।
 13. सक्षम अधिकारी किसी भी समय सम्पूर्ण मेला परिसर के किसी भी हिस्से का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 14. मेला परिसर में नशा करना अथवा नशीले पदार्थों का लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि किसी के पास इस प्रकार की सामग्री पायी जाती है तो उसके स्टाल का तत्काल आवंटन निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है। आवंटित किये जाते समय आवेदन करते समय सहायक का नाम व फोटो आधार कार्ड छायाप्रति संलग्न करना होगा जो शिल्प हाट परिसर में रहेगा।
 15. मेला परिसर में केवल वही शिल्पकार व उनके सहायक रहेंगे जो अधिकृत होंगे। अन्य व्यक्तियों को रहने की अनुमति नहीं होगी।
 16. केन्द्र द्वारा सभी स्टॉलों के लिये निर्धारित प्रकाश का प्रबन्ध किया जायेगा। शिल्पकारों द्वारा यदि शिल्प विक्रय में अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होगी तो अधिकतम 50 वाट की लाईट स्वयं के खर्च पर लगाये जाने की अनुमति होगी तथा किसी भी दशा में 50 वाट से अधिक लाईट का प्रयोग दुकानों के लिये वर्जित होगा। यदि शिल्पकार को अतिरिक्त लाईट लगाना अत्यंत आवश्यक है तो 14 दिन की अवधि के लिये प्रत्येक 50 वाट के विरुद्ध रु. 1500.00 अतिरिक्त केन्द्र में जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा दुकान की लाईट काटी जा सकती है।
 17. केन्द्र परिसर में पॉलीथिन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
 18. दीपावली शिल्प मेले के लिए दिनांक 22 अक्टूबर से 04 नवम्बर 2026 में निदेशक महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी सहयोगी संस्थान को संयुक्त रूप से दीपावली शिल्प मेले हेतु सम्मिलित किया जा सकता है।
 19. किसी विवाद की दशा में निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र का निर्णय अन्तिम व सभी को मान्य होगा।
- नोट -** उपर्युक्त नियम/शर्तों का उल्लंघन करने पर स्टाल का आवंटन निरस्त करते हुए शिल्पकार/व्यंजनकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। बिना आधार कार्ड एवं आवेदन पत्र के आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। एक ही पता अलग-अलग नामों से पाये जाने पर भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदकों के बैंक ड्राफ्ट वापस नहीं किये जायेंगे।

घोषणा

मैं/हम.....पुत्रश्री.....फर्म.....
यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है। मैं/हम
पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांक

शिल्पकारों के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

मो0नं0-

पिन नं0-

पैन कार्ड नं0-

टैक्स नं0-

388th
10/11/26

शिल्प की सूची

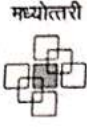
क्र.सं.	शिल्प का नाम	वर्ष 2026 में प्रस्तावित स्टॉलो की संख्या	वर्ष 2026 में प्रस्तावित किराये की धनराशि (रुपये में)
1.	खादी बुटिक लेडिज सूट अनस्टे चिबल	02	24,000.00
2.	कालीन / कारपेट	02	38,000.00
3.	पंजा दरी डोर मेट	01	28,000.00
4.	ब्लू पॉटरी	03	38,000.00
5.	क्ले / सजावटी वस्तुएँ	01	38,000.00
6.	बुडवेयर / बुडकार्विंग	01	52,000.00
7.	फर्नीचर	02	52,000.00
8.	लकड़ी के खिलौने	03	22,000.00
9.	बेडशीट इम्ब्रोडरी	02	43,000.00
10.	एम्ब्रोडरी एण्ड क्रोच (फुलकारी)	02	30,000.00
11.	हैण्ड इम्ब्रोडरी	06	30,000.00
12.	चिकन इम्ब्रोडरी	02	22,000.00
13.	लाख की चूड़ी	01	22,000.00
14.	ग्लास वीड्स मेटल वर्क	01	30,000.00
15.	हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग (बेडशीट)	03	33,000.00
16.	सिल्क मैटेरियल	03	30,000.00
17.	डिजाइनर चादर	03	43,000.00
18.	हैण्ड ब्लाक प्रिन्ट कुर्ती	02	24,000.00
19.	बनारसी साड़ी, सूट और ड्रेस मैटेरियल	03	30,000.00
20.	लेदर वर्क / चर्म शिल्प	03	28,000.00
21.	आर्टिफिशियल ज्वेलरी	03	33,000.00
22.	गुजराती ज्वेलरी	02	28,000.00
23.	हैण्डलूम साड़ी	02	28,000.00
		53	
24.	चन्देरी हैण्डलूम	02	30,000.00
25.	पैच एवं जरी वर्क	01	30,000.00
26.	इत्र	01	22,000.00
27.	खादी शर्ट, कुर्ता, पजामा, जैकेट	03	24,000.00
28.	अगरबत्ती / धूपबत्ती	03	22,000.00
29.	पंजाबी जूती	02	28,000.00
30.	राजस्थानी जूती	02	28,000.00
31.	ड्राई फ्लावर	01	22,000.00
32.	आर्ट मेटल वेयर	02	22,000.00
33.	आर्ट मेटल (पीतल की मूर्ति)	01	22,000.00
34.	जूट क्राफ्ट	03	22,000.00
35.	टेराकोटा	03	22,000.00
36.	पेन्टिंग	02	22,000.00
37.	ट्राईफेड	01	
38.	अन्य प्राप्त आवेदन के अनुसार	10	25,000.00 प्रत्येक

3182
10/1/26

व्यंजन की सूची

क्र.सं.	व्यंजन का नाम	2026 में स्टॉलों की प्रस्तावित संख्या	वर्ष 2026 के लिये प्रस्तावित किराया
1.	ड्राई फ्रूट	02	26,000.00
2.	अमेरिकन भुट्टा	01	30,000.00
3.	चाट	01	32,000.00
4.	भेलपुरी	01	22,000.00
5.	स्वीटकार्न	02	30,000.00
6.	चाय, काफी	02	25,000.00
7.	चूर्ण, सुपारी	02	22,000.00
8.	अचार / मुरब्बा	01	25,000.00
9.	जलेबी पकौड़ी	01	30,000.00
10.	दक्षिण भारतीय व्यंजन	01	30,000.00
11.	अन्य प्राप्त आवेदन के अनुसार	02	25,000.00 प्रत्येक

31/6/26
19/07/26



उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)
दीपावली शिल्प मेला दिनांक 22 अक्टूबर से 04 नवम्बर, 2026

आवेदक की
स्वप्रमाणित फोटो

1. शिल्पकार का नाम (हिन्दी) में :-
2. शिल्पकार का नाम (अंग्रेजी) में :-
3. पिता/पति का नाम (हिन्दी) में :-
4. पिता/पति का नाम (अंग्रेजी) में :-
5. हस्तशिल्प विधा से सम्बन्धित शिल्प का नाम :-
6. आधार नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें) :-
7. दूरभाष, मोबाइल नं०/ई-मेल
8. आवेदक की श्रेणी - सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग

“बैंक ड्राफ्ट निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र प्रयागराज के पक्ष में देय होगा”

10. बैंक का नाम :- बैंक ड्राफ्ट संख्या :-
बैंक खाता संख्या :- आई0एफ0एस0सी0 कोड संख्या :-
9. हस्तशिल्प विकास आयुक्त द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या अति-आवश्यक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति/फोटो कापी अवश्य संलग्न करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा :-
10. हस्तशिल्प सम्मान/राष्ट्रीय पुरस्कार/विकास आयुक्त/भारत सरकार या अन्य:-
11. राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लेने का वर्षानुसार विवरण:-

नोट - शिल्प निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण/शिल्प से सम्बन्धित फोटोग्राफ भी लगायें।

संलग्नक - नियम।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

पिन कोड:-

मोबाइल नम्बर:-

फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 08 अक्टूबर 2026, सांयकाल 6.00 बजे तक, अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदित किये गये आवेदनकर्ता सहायक का नाम व फोटो के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।



North Central Zone Center Cultural, Prayagraj
(Ministry of Culture, Government of India)
Deepawali Crafts Festival to be held from
22 October to 04 November, 2026

Self attested
photograph of the
Application

1. Name of the Craftsmen :
2. Father's Name/Spouse Name :
3. Crafts name related to Handicraft.....
4. Adhaar No (attach photocopy).....
5. Mobile No./e mail ID.....
6. Applicant's Group * General/OBC/SC/ST/other.....
"The bank draft will be payable in favour of Director North Central Zone Cultural Center Prayagraj"
7. Bank Name.....
8. Bank Draft No.....
9. Bank Account No.....I.F.S.C.....
10. Registration No. provided by Handicrafts Development Commissioner.....
.....
11. Handicraft Awards/National Awards/Development Commissioner/Govt o' India or
others -

Note- Brief details of Craft Manufacturing Process/Photographs related to craft

Attachment - Rules

Applicant's Signature

Name.....

Address.....
.....

Pin code.....

Mobile No.....

Form submission last date is 08 October 2026. Till 6 pm, late submission will not be Accepted